

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्र सं०-०८ / ज०सं०(नि०)कोर्ट केस-१२-०१ / २०१९ ..... / राँची, दिनांक .....

**आदेश**

श्री सुधीर कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, चौसा के पदरथापन अवधि में बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 2132 दिनांक- 21.07.1994 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. श्री सिन्हा के दिनांक- 31.12.2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त संकल्प द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को इस विभाग के स्तर से पेंशन नियमावली के नियम-43(बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

ह०/-

(विनय कुमार)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : ..... २७६१ ..... / राँची, दिनांक ..... २४/५/१९

प्रतिलिपि : उप सचिव, (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक- 2630 दिनांक- 21.12.2018 के क्रम में / श्री सुधीर कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, 106, मधुसूदन अपार्टमेन्ट, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर, पिन-831018 / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Ministry  
29/5/2019*

(विनय कुमार)  
सरकार के अवर सचिव